संलग्नक 05

मेसर्स आधुनिक पॉवर एण्ड नेचुरल्स रिर्सोसेस लिमिटेड, ग्राम– डूमरपारा एवं डेरागढ़, तहसील–सक्ती, जिला–जांजगीर–चांपा छ0ग0 में प्रस्तावित 2 x 660 मेगावाट कोल बेस्ड सुपर क्रिटीकल थर्मल पॉवर प्लांट के लिए भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 08.04.2011 को ग्राम– डुमरपारा गंजीभांठा स्थल में संपन्न लोक सुनवाई की कार्यवाही विवरण।

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की ई0 आई0 ए0 अधिसूचना 14.09.2006 के अंतर्गत् मेसर्स आधुनिक पॉवर एण्ड नेचुरल्स रिर्सोसेस लिमिटेड, ग्राम–सकरेली, डूमरपारा एवं डेरागढ़, तहसील–सक्ती, जिला–जांजगीर–चांपा छ0ग0 में प्रस्तावित 2x660 मेगावॉट कोल बेरड सुपर क्रिटीकल थर्मल पॉवर प्लांट के लिए भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मंडल में लोक सुनवाई हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के परिप्रेक्ष्य में जिला कलेक्टर, जांजगीर–चांपा द्वारा जन सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 08.04.2011 समय 12.30 बजे, स्थान ग्राम–डूमरपारा गंजीभाठा स्थल जिला–जांजगीर–चांपा में श्री ए. के. तिवारी अपर कलेक्टर, जांजगीर–चांपा की अध्यक्षता एवं डॉ0 सी0 बी0 पटेल क्षेत्रीय अधिकारी, छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर की उपस्थिति में लोक सुनवाई प्रारंभ की गई।

अपर कलेक्टर एवं लोक सुनवाई की कार्यवाही के पीठासीन अधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय, जन प्रतिनिधियो एवं सभी अधिकारियों तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए जन सुनवाई के महत्व एवं उदेश्य पर प्रकाश डाला गया। लोक सुनवाई के संबंध में छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अभी तक की गई कार्यवाही से जनसामान्य को अवगत कराया गया। जनसामान्य को यह भी अवगत कराया गया कि लोक सुनवाई के प्रकाशन दिनांक से लोक सुनवाई तिथि तक परियोजना स्थापना के संबंध में 688 पोस्ट कार्ड के माध्यम से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां क्षेत्रीय कार्यालय, छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर में दिनांक 07.04.2011 तक प्राप्त हुई है। तत्पश्चात् अपर कलेक्टर एवं लोक सुनवाई के कार्यवाही के पीठासीन अधिकारी द्वारा लोक सुनवाई प्रारंभ करने की विधिवत घोषणा की गई। साथ ही यह व्यवस्था दी गई कि लोक सुनवाई से सभी इच्छुक वक्ताओं को अपनी राय, सुझाव, विचार तथा आपत्तियां रखने के लिए पूरा–पूरा अवसर दिया जावेगा तथा सभी वक्ताओं के बोलने के पश्चात् ही लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त की जावेगी। साथ ही यह भी समझाईश दी गई कि जब कोई वक्ता अपना वक्तव्य दे रहे हो तो उस समय कोई अन्य व्यक्ति व्यवधान न डाले व कोई टीका टिप्पणी न करें तथा शांति व्यवस्था बनाई रखी जाये। यह भी बताया गया कि जो कोई व्यक्ति लिखित में अपना विचार, सुझाव, सहमति व आपत्ति आदि देना चाहे तो, लिखित आवेदन देकर अभिस्वीकृति छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मंडल से अनिवार्यतः लें। इसे अभिलेख में लिया जायेगा।

इसके पश्चात अपर कलेक्टर एवं लोक जन सुनवाई के पीठासीन अधिकारी द्वारा मेसर्स आधुनिक पॉवर एण्ड नेचुरल्स रिर्सोसेस लिमिटेड, के प्रतिनिधि को उद्योग के संबंध में

सामान्य जानकारी के साथ पर्यावरणीय प्रभाव के संबंध में किये गये आंकलन की जानकारी से उपस्थित जन सामान्य को अवगत कराने का निर्देश दिया गया ।

मेसर्स आधुनिक पॉवर एण्ड नेचुरल्स रिर्सोसेस लिमिटेड, के प्रतिनिधि श्री शशि भूषण अग्रवाल, मुख्य कार्यपालक अधिकारी (पॉवर) द्वारा प्रस्तावित 2X 660 मेगावॉट कोल बेस्ड सुपर क्रिटीकल थर्मल पॉवर प्लांट के संबंध में सामान्य जानकारी के साथ पर्यावरणीय स्थिति की जानकारी दी गई तथा पर्यावरण पर पडने वाले प्रभाव एवं उसे दूर करने की जानकारी जन सामान्य को दी गई। इस दौरान भी उपस्थित जन समुदाय से कुछ व्यक्ति नारा लगाते हुये हस्ताक्षेप कर रहे थे।

इसके पश्चात् अपर कलेक्टर एवं लोक जन सुनवाई के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्तावित 2 X 660 मेगावॉट कोल बेस्ड सुपर क्रिटीकल थर्मल पॉवर प्लांट के संबंध में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उपस्थित जन समुदाय से सुझाव, विचार, टीका टिपण्णी एवं आपत्तियां लिखित या मौखिक रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

लोक सनुवाई के प्रारंभ में कुछ लोगों द्वारा लोक सुनवाई स्थगित किये जाने एवं लोक सुनवाई में व्यवधान डालने के उद्देश्य से नारे बाजी की गई। जन समुदाय में से मेसर्स आधुनिक पॉवर एण्ड नेचुरल्स रिर्सोसेस लिमिटेड, ग्राम–सकरेली, डूमरपारा एवं डेरागढ़, तहसील–सक्ती, जिला–जांजगीर–चांपा छ0ग0 में प्रस्तावित 2 X 660 मेगावॉट कोल बेस्ड सुपर क्रिटीकल थर्मल पॉवर प्लांट की पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में सुझाव, विचार, टीका टिपण्णी एवं आपत्तियां मौखिक रूप से प्रस्तुत की गई :–

1. संदीप बनाफर, सक्ती, जिला–जांजगीर–चांपा :–

मैं इस पावर प्लांट के विरोध में आया हूं । ये जो जन सुनवाई हो रही है। यह प्रक्रिया स्थानीय समाचार पत्र में 30 दिन के अंदर होनी चाहिए और 30 दिन के बाद हुआ है। न तो जनपद पंचायत में सूचना दिया गया है और न ही गांव में इश्तिहार के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया गया है। ऐसी पर्यावरण जन सुनवाई अपने आप ही अवैध हो जाती है। इसका तत्काल स्थगन कर देना चाहिए। मेरा पुस्तैनी क्षेत्र ठठारी है और मैं सक्ती में निवास करता हूं, जो 10 किलो मीटर की परिधि में आता हैं जिस विषय पर बोलने के लिए यहां पर आमंत्रित किया जा रहा है। वह विषय ही नहीं है तो उस पर मेरे बोलने का औचित्य मेरे को नहीं दिखता। ये बोलते हैं कि इस परियोजना में पानी महानदी से आयेगा और इसमें लगभग 32 लाख घन मीटर जल महानदी से लिया जायेगा। जांजगीर जिले में 5 बैराज 7 से 10 कि0मी0 की परिधि में बनाये गये है, जिसमें शिवरीनारायण, बसंतपुर, मिरौनी, साराडीह, कलमा लगभग 26–27 विद्युत संयंत्रों में पानी दिया जायेगा। उस पर अलग से परियोजना जुड रही है तथा किसी भी ने इसका अध्ययन नहीं किया है। हमारा जो क्षेत्र है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है और कृषि में पानी ही नहीं मिलेगा तो हमारी जमीन बंजर हो जायेगी ऐसी परिस्थिति में यह प्लांट नहीं खुलना चाहिए।

दूसरी बात इस बिजली उत्पादन के लिए कोयले की आवश्यकता होगी। कोयला लगभग 48 प्रतिशत राख फेकेगा। इसका मतलब है 6.9 मेट्रिक टन कोयले की खपत होगी। लगभग 3.3 मेट्रिक टन उत्पादन होगा, इसको कितनी तादाद में विस्तार किया जावेगा। राखड बांध की व्यवस्था मेरे को उचित नहीं लगती। यहां कहां किये है, और राखड़ में सिर्फ 2 प्रतिशत ही सीमेंट के लिए उपयोग होगा। बाकी राखड़ कहां जायेगा ? इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसी परिस्थिति में ये पूरा क्षेत्र राखडमय हो जायेगा। जनजीवन अस्त व्यस्त हो जायेगा। कोई जीवित नहीं बचेगा। दूसरा ये ट्रांसमीशन लाईन बनाने की बोल रहे है। 7 मीटर कारीडोर की आवश्यकता होगी उसके लिए और 10 कि0मी0 क्षेत्र में केवल बिजली के बडे–बडे टॉवर लगे होंगे, और ऐसी स्थिति में जांजगीर जिला मात्र 22 एम. ओ. यू. किये है तथा 22 प्लांट लगेंगे। इस छोटे जिले में तो यहां के आदमी मरेंगे, जीयेंगे, इसका कोई पता नहीं है। दूसरी ये जमीन भू–अर्जन के माध्यम से अधिग्रहित किया जा रहा है और इसका तीन स्टेप बताया गया है टिकरा, कन्हार, मटासी, इसमें भी फिर तीन है, एक फसली, दो फसली। ये जो सारी जमीने है, मात्र वो एक फसली बना दिया गया है। एक तरफ सरकार हमसे नहर अपासी कर दो फसली का टैक्स लेती है और दूसरा जब जमीन अधिग्रहित करने की बात आती है, तो उसे एक फसली मान रहे है। इस तरीके से कृषि भूमि को अधिग्रहित करके पूरे जमीनों को बंजर बना दिया जायेगा। ऐसी परिस्थिति में ये प्लांट यहां नहीं लगना चाहिए। तीसरी बात हमारा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है और यहां सभी कृषि भूमि पर उद्योग लगाया जा रहा है तो ऐसी परिस्थिति में यहां धान की पैदावार शून्य हो जायेगी और धान की कीमत 100 रूपये किलो हो जायेगी। बिजली की कीमत 2 रूपये में प्रति यूनिट हो जायेगा। तो क्या ये 2 रूपये प्रति यूनिट की दर से 100 रूपया किलो चांवल कोई आदमी खरीदना पसंद करेगा ? ऐसी परिस्थिति में भी कंपनी को नही खुलना चाहिए। दूसरा यहां जो कुछ लोग विरोध कर रहे है वो कंपनी का विरोध नहीं कर रहे है, अपना विरोध कर रहे है। एम. पी. स्टेट कार्पोरेशन डूमरपारा में चल रहा था, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश क्रमांक 202–1995 गोधा बर्मन विरूद्व संघ राज्य एवं अन्य मामले में केन्द्र सरकार की सूची से वन क्षेत्र छीतापण्डरिया वन ग्राम, वन संरक्षण अधिनियम 1980 से बंद कर दिया गया है। एम. पी. स्टेट कार्पोरेशन जो सरकार की थी, उसको बंद कर दिया गया। ऐसी परिस्थिति में प्राईवेट कंपनी को यहां खोलने की अनुमति देना मुझें उचित प्रतीत नहीं होता है और ऐसी परिस्थिति में आदरणीय ए. डी. एम. साहब आप उचित कार्यवाही करें। आप हमारे बुजूर्ग है, हमारे मार्गदर्शक है, आप हमारे द्वारा कहे बात को उचित अधिकारी तक विधिपूर्ण नियमानसुसार तरीके से पहुंचाऐंगे। आप से यह निवेदन है। धन्यवाद जय हिन्द जय छत्तीसगढ़।

2. एम. के. श्रीवास्तव, ग्राम–बाराद्वार सचिव, जल, जंगल, जमीन बचाव समिति :–

सर्व प्रथम गांधी के देश में किसान ही सर्वाधिक पीडित और अभिसप्त वर्ग बन गया है। अंग्रेजी शासन के दौरान बनाई गई भू–अर्जन प्रक्रिया आजादी के 64 वें वर्ष के बाद भी लागू है। आज जिस पॉवर संयंत्र के लिए जन सुनवाई आयोजित की गई है, कृपया मेरी कामन बिन्दुओ पर ध्यान देने की कृपा करें। ग्राम सकरेली में खसरा नं. 470/2 शासकीय

मै विरोध के रूप में अपना दो शब्द बोलना चाहता हूँ। कृपया संज्ञान में लिया जाये। जन सुनवाई का विषय वस्तु पर्यावरण संरक्षण है। पर्यावरण के संरक्षण हेतु प्रस्तावित कंपनी के विरूद्ध हमारी आपत्ति निम्न है :–

1. मात्र 5 प्रतिशत वन परिक्षेत्र वाले जांजगीर–चांपा जिले में संयंत्र स्थापना की पर्यावरण की स्वीकृति देना हमें मंजूर नहीं है।

2. सर्वाधिक सिंचित जिले दो फसलीय जमीन जिसमें कुएं, तालाब, टयूबवेल तथा जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित नहर है को सामान्य भूमि की घोषणा करते हुए संयंत्र की स्थापना हेतु अर्जित की जा रही है। पूर्ण अवैध एवं गलत प्रक्रिया है हम इसका प्रबल विरोध करते है।

3. संयंत्र स्थापना की परिधि 10 कि0मी0 है। इस परिधि के अंतर्गत् स्कूल बस्ती तथा तालाब स्थित हैं। संयंत्र से निकलने वाले राखड तथा प्रदूषण से सभी प्रभावित होंगे। ग्राम पंचायत सकरेली, डूमरपारा, डेरागढ जिला जांजगीर–चांपा के अधिनस्थ पंचायते है। यहां सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। संयंत्र स्थापना से जन जीवन पर प्रदूषण का असर पडना स्वभाविक है।

अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि प्रस्तावित संयंत्र को पर्यावरण स्वीकृति प्रदान नहीं किया जावे। और न ही आज की जन सुनवाई को सफल माना जावे। धन्यवाद

4. **फिरतराम बरेठ, ग्राम–डेरागढ, कृषक जिला–जांजगीर–चांपा :–** आज के जनसुनवाई में उपस्थित ग्राम डेरागढ, सकरेली, डूमरपारा के तमाम कृषक दाई, बहनी, दीदी आए हैं, उनको मेरा जय जोहार, मेरा प्रणाम। आज डूमरपारा के भाठा में सभी लोग उपस्थित हुए है क्योंकि हमारे जांजगीर–चांपा जिले का कलेक्टर साहब पर्यावरण विभाग के तरफ से जन सुनवाई के लिये न्यौता दिया था। उसी निमत्रंण पर आए हैं और अपनी बात रखने आए है। हमारी बात ये है, पहले जो लिखित मे दिये है उसे पढकर सुनाता हूँ। विषय– पॉवर प्लांट स्थापित किये जाने के विरोध मे ज्ञापन मांग पत्र। महोदय, उपरोक्त विषय मे हमारा निवेदन है कि ग्राम पंचायत डूमरपारा, डेरागढ एवं सकरेली बाराद्वार की कृषि भूमि जहां की दो फसलीय जमीन होने के कारण समूचा क्षेत्र कृषि पर निर्भर है तथा यहां का मुख्य धंधा कृषि का है। इस कृषि भूमि पर आधुनिक रिर्सोसेस फर्म द्वारा पावर प्लांट स्थापित करने के लिए पर्यावरण अनुमति के लिये जन सुनवाई आयोजित की गई है। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि जिस स्थान पर पावर प्लांट लगाने की अनुमति चाही गई है, वह क्षेत्र रकबा पूर्ण रूप से खेती/कृषि भूमि है, जिस पर कास्तकारों द्वारा कृषि कार्य अपने जीकोपार्जन के लिये किया जाता है तथा इस क्षेत्र के लोग पूर्ण रूप से कृषि पर आश्रित है। हमारा भारत कृषि प्रधानदेश है। फसल नहीं होने की स्थिति में यहां के लोगों के पास बेरोजगारी की स्थिति निर्मित हो जायेगी, साथ ही कृषि आय का सीधा संबंध राष्ट्रीय आय से है। यदि प्लांट स्थापित कर दिया जाता है तो यह संकट राष्ट्रीय आय पर इसका निश्चित रूप से प्रभाव होगा, जो कि राष्ट्रहित में नही है। इस प्रकार यदि प्लांट की स्थापना इस स्थान पर की

जाती है तो समूचे क्षेत्र को प्लांट के प्रदूषण की मार झेलनी पड़ेगी। पूरा क्षेत्र प्रदूषित हो जायेगा तथा यहां का पर्यावरण संतुलन बिगड़ जायेगा। फलस्वरूप यहां के नागरिकों का कई पीढ़ी हमेशा के लिये जीना दूभर हो जायेगा। कोई भी नियोक्ता पर्यावरण/प्रदूषण नहीं होने का कितना भी दावा करें, किन्तु उनका दावा खोखला साबित होता है और जहां जहां प्लांट लगे हैं, व लगते हैं, लोगों को पर्यावरण के लिए संघर्ष करना पड़ता है। नियोक्ता को लोगों के जीने मरने का कोई ध्यान नहीं रहता। उनका उददेश्य सिर्फ आर्थिक लाभ कमाना रहता है। प्लांट की स्थापना से पूरा क्षेत्र प्रदूषित हो जोयगा, जिससे सिर्फ मानव ही नहीं पशु, जीव–जंतु के जीवन का अस्तित्व ही संकट में पड़ जायेगा, जो कि भारतीय संविधान का खुल्लम खुला उल्लंघन है। खाने से लेकर पीने के पानी तक प्रदूषित हो जायेगा। प्लांट वाले जमीन में बोर कर, उद्योग के लिये जल का दोहन करते हैं जिससे इस क्षेत्र में जल संकट उत्पन्न हो जायेगा। चूंकि जल ही जीवन है। जल के अंधाधुंध दोहन से यहां के लोगों का जीवन संकट में पड़ जायेगा। उद्योग सिर्फ वहीं लगने चाहिये जहां की जमीन पड़त हो। कास्तकारों की जमीन पर किसी भी स्थिति में उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अतः इस संबंध में हमारा आपसे निवेदन है कि इस प्लांट को उक्त स्थापना हेतु पर्यावरण स्वीकृति किसी भी स्थिति में नही दी जाये तथा यहां के क्षेत्र एवं आसपास के नागरिकों को जीवन प्रदान कर जन भावनाओं का सम्मान किया जाये। इस संबंध में हमारा विशेष अनुरोध है कि छ0ग0 प्रांत विशेषकर जांजगीर–चांपा जिले में पावर प्लांट लगाने के लिए उद्योग पतियों द्वारा एक अंधी दौड चल रही है। सिर्फ इसी जिले में लगभग 50 पॉवर प्लांट लगाने हेतु ए. एम. यू छ.ग. शासन द्वारा किया गया है। इस जिले का रकबा लगभग 35,000 हेक्टेयर है। यदि सभी पॉवर प्लांट यहां स्थापित हो जाता है, तो यहां के लोगो का अस्तित्व संकंट मे आ जावेगा। विशेष बात यह है कि अधिकांश पॉवर प्लांट को दो फसली जमीन पर स्थापित होने की बात कही जा रही है। कृषि भूमि का रकबा समाप्त हो जायेगा। साथ ही इस पॉवर प्लांट के द्वारा औद्योगिक प्रयोजन हेतु धरती का सीना चीर कर पानी का दोहन किया जायेगा। कानून को ताक में रख कर उस समय सभी प्रशासनिक अधिकारी तथा जन प्रतिनिधि हाथ पर हाथ मिलाये बैठे रहते है कि ऊपर से नीचे तक कोई कुछ बिगाड नहीं सकता है। हकीकत तो यही कि जन भावनाओं के विपरीत इन्हे पर्यावरण एवं हर विभाग से जरूरी प्रमाण पत्र जनहित के विरोध में दिया जाता है। यह जन सुनवाई कोरम पूरा करने के लिए आयोजित की गई हैं। यहां की जनता फिर होगी बलि का शिकार, इससे हमारे बीच के ही कुछ जिसकी एक इंच जमीन भी प्रभावित नहीं होती हैं वही अपना ताना बाना बुनते है, और उद्योग के पक्ष में बोलकर एक मोटी रकम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। साथयों अभी मैनें जो लिखकर दिया है, उसे पढकर सुनाया है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जमीन के खेत का मालिक किसान है। अपने–अपने खेत का मालिक किसान है न कि डॉ0 रमन सिंह हैं। यदि डॉ0 रमन सिंह को प्लांट लगाना है तो कर्वधा में लगाये। यदि डॉ0 रमन सिंह को जांजगीर–चांपा में 30 पॉवर प्लांट लगाने की इच्छा है तो मै उन्हे चुनौती देता हूँ। यदि उसमें दम है तो कर्वधा में प्लांट लगायें। मेरा आप लोगो से निवेदन है जब तक आप लोग अपनी जमीन का रजिस्ट्री नहीं करायेंगे, तब तक कोई भी अधिकारी

आपकी जमीन नहीं ले सकता। जिस दिन आप जमीन रजिस्ट्री करोगे, अपना नाम ट्रांसफर करोगे, उसी दिन डॉ0 रमन सिंह आपकी जमीन ले सकता है। जो भी आधिकारी आए है, वो बताये कि जमीन का मालिक किसान है कि नहीं। आप लोग के बीच में दलालों को घुसाया गया है। आप मन के बीच में पूरे छ0ग0 के दलालों को घुसाया गया है। वो पहले आकर आप के जमीन को खरीद रहा है। उनके बहकावे में नहीं आना है और अपने जमीन को एक इंच भी नहीं बेचना है। मै उदाहरण दे के बताता हूँ कि रायगढ़ जिले में नवीन जिंदल रायगढ का पूरा जमीन खरीद लिया। मै दावा के साथ कहता हूँ, एक किसान है जो धरती पुत्र है, उसके जमीन को आज तक नवीन जिंदल न तो डॉ0 रमन सिंह खरीद पाये है। आप लोग भी वही किसान बन जाओ, ताकि डॉ0 रमन सिंह आवे, यहां का कलेक्टर आवे, लेकिन जमीन नहीं देना है।

5. **डॉ0 लखन राठौर, ग्राम–डेरागढ़, जिला–जांजगीर–चांपा :–** जो भी वक्ता अभी तक बोले हैं, उससे हट कर मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूं। ध्यान से सुनियें। जब हमारे गांव में राऊत नाचते है तो बोलते है कि हरियर–हरियर बाग–बगीचा और हरियर दिखे फुलवारी, हरियर दिखही हमर खेत डोली तो कहां ले आही बीमारी। जब यहां पावर प्लांट खुलेगा तो वहां से सोना नही बरसेगा। बल्कि धुआं राखड़ निकलेगा। यह राखड आपके घरो में जायेगा, आपके खेतों में जायेगा, आपके बडी– बिजौरी तथा धान को बर्बाद करेगा। हमे पावर प्लांट की जरूरत नहीं है। कोरबा में पर्याप्त है। अभी पॉवर प्लांट नहीं है तो आप लोग सुंदर दिख रहे हैं, आपके बाल बच्चे सुदर है। प्लांट लगने से चेहरा कुरूप होगा, हाथी पॉव की बीमारी होगी, चर्म रोग होगा, छाती की बीमारी होगी, पेट की बीमारी होगी। जिसको दुख पाना है वो पॉवर प्लांट को जमीन देगा। यह जमीन देने के लायक नहीं है। यह प्लांट का घोर विरोध करो, पूरजोर प्लांट का विरोध करें। यहां राजनैतिक, सांस्कृतिक प्रदूषण होगा। बंबई मे सबसे पढे लिखे लोग रहते है। एक शहर है बंबई जहां भगवान रहता है जिसका नाम सचिन तेंदुलकर है ये लोग सोन चांदी के लोग है वहां पर अमिताभ बच्चन रहते है। वे लोग कहते है। कि एक बिहारी 100 बिमारी, 2 बिहारी लडाई की तैयारी, 3 बिहारी सरकार हमारी और 4 बिहारी डेरागढ सकरेली डूमरपारा हमारी कहेंगे और तुम लोग भीख मांगोगे। मै आप सभी का हाथ जोडता हूँ, पुरजोर विरोध करें। इस पॉवर प्लांट को अपना जमीन न दे। यहां राउलकेला स्टील प्लांट चल रहा था। कोरापुर प्लांट चल रहा था, कार्पोरेशन खदान चल रहा था, सिंडीकेट चल रहा था और आप लोग सब जानते है। यही राज्य सरकार और यही केन्द्र सरकार उसे सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर बंद कर दिया गया और वही हवाला पढकर सुनाता हूं। माननीय सुप्रीम कोट अंतरिम आदेश 202/1995 गोधा बर्मन विरूद्व संघ शासन के अन्य मामले मे संघ शासन के सूची में दर्ज हैं, वन परिक्षेत्र छीतापण्डरिया वन ग्राम अधिनिमय सन 1980 के तहत् सभी खदान को बंद कर दिया गया। आज कौन सा कानून में संशोधन हो गया, जो ये प्लांट खोलने आऐ है। अपना विचार शांति से व्यक्त करें। हम किसी भी कीमत से भिखारी नही बनेंगे, प्लांट को जमीन नहीं देंगे।

6. **महेश प्रसाद यादव, ग्राम–डूमरपारा :–** मजदूर संघ सदस्य डूमरपारा की तरफ से सब को नमस्कार, प्रणाम करता हूं। आधुनिक पावर प्लांट जो डेरागढ, सकरेली, चारपारा मे लगने का है, का मैं पूरजोर विरोध करता हूं। क्योकि जन सुनवाई के नियम के अनुसार जनता को मुनादी नही की गई, और पर्यावरण प्रदूषण फैलेगी उसकी पूरी–पूरी जानकारी नहीं दी गई है। इसलिए मै इसका विरोध करता हूं। पहले भी यहां पर बालाजी माईनिंग का जन सुनवाई रखा गया था। उसमे भी हम लोगों ने बताया था कि छीतापण्डरिया, डूमरपारा, डेरागढ जो बडे झाड का जंगल है। इसमे सुप्रीम कोर्ट और एम. पी. स्टेट माईनिंग के मैनेजर के द्वारा लिखित में आदेश करके 1444 मजदूर को बेरोजगार कर दिया गया था। तो ये आधुनिक पॉवर प्लांट कितने लोगो को रोजगार देगा, जो प्राईवेट कंपनी है। गवर्नमेंट की कंपनी को क्यो बंद किया गया। जब यहा जंगल की जमीन है कह कर गवर्नमेंट की कंपनी को बंद कर दिया गया, तो आधुनिक पॉवर को यहां क्यों लगाया जा रहा है। इसका मै बिल्कुल विरोध करता हूं। यहां से आदमी तो क्या पशु–पक्षी पर भी बुरा असर होगा। वर्तमान में वॉटर लेबल गिर चुका है। पॉवर प्लांट लगने से नये बोर करायेंगे जिससे वॉटर लेबल और नीचे चला जायेगा, जिससे किसानो को फसल के लिए बहुत तकलीफ होगा। इसलिए मै इस पावर प्लांट का विरोध करता हूं। मै सभी ग्रामीणो से अनुरोध करता हूँ कि इसका पुरजोर विरोध करें और कोई भी अपना जमीन न दे।

7. **चीरंजीवी लाल तम्बोली, उपसरपंच ग्राम पंचायत सकरेली :–**इस जन सुनवाई मे पधारे सभी लोगो एवं अधिकारियों को नमस्कार करता हूँ। पर्यावरण सुनवाई में हमारी आपत्तियां निम्न है :–

1. आधुनिक पॉवर एण्ड नेचुरल्स रिर्सोसेस पॉवर प्लांट स्थापना हेतु जिस स्थल का चयन किया गया है, इस स्थल पर लाखों पेड लगे हुए है। कंपनी सघन वृक्षारोपण की संतुष्टि कर रही है। पर संयंत्र स्थापना के पूर्व ही लाखों वृक्षों की कटाई करना होगा। इसी कंपनी के द्वारा किसी भी अनिवार्य व्यवस्था नहीं की गई है।

2. पॉवर संयंत्र स्थापना से निकलने वाले राखड़ तथा राखड की खफत का कंपनी द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. कंपनी का स्थल चयन के आसपास ही रिहायसी मकान तथा शासकीय स्कूल हैं। संयंत्र से निकलने वाले राखड एवं धुआं से बच्चे प्रभावित होंगे, तथा दो फसली खेती भूमि प्रभावित होगी।

अतः लोक सुनवाई में पधारे पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारियो से विनम्र निवेदन है कि प्रस्तावित संयंत्र हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान नहीं करने की कृपा करें। धन्यवाद

8. **कौशल्या बाई – ग्राम–डूमरपारा**

हमारे गांव डूमरपारा में पावर प्लांट नहीं खुलना चाहिए। हम किसान भाई जी खा रहे हैं। डॉ0 रमन सरकार थोडे ही हमको खाने के लिए दे देगी। जमीन नहीं देना है।

M/s Adhunik Power & N. R. Ltd.

लोक सुनवाई के दौरान संबंधित ग्रामीणों द्वारा परियोजना स्थापित करने के संबंध में अपने अभिमत लिखित में दिया गया। इसके लिए छह काउंटर खोले गये थे। अभिमत लिखित में प्रस्तुत करने वाले को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा पावती दी गई। लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जन समुदाय मे से 1444 के द्वारा लिखित में भी अभिमत दिया गया। लिखित में प्राप्त अभिमतो मे से 721 प्लांट स्थापना के पक्ष जिसमे सरपंच ग्राम पंचायत लहंगा, ग्राम पंचायत सरवानी शामिल है एवं 723 प्लांट स्थापना के विपक्ष में है। जो मूलतः संलग्न है। इसके अतिरिक्त लोक सुनवाई प्रकाशन से लोक सुनवाई की तिथि 08.04.2011 तक क्षेत्रीय कार्यालय, छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर में 688 पोस्ट कार्ड के माध्यम से उद्योग स्थापना के संबंध में अभिमत व्यक्त किया गया है। इनमें से 688 अभिमत पक्ष में है। जो कि मूलतः संलग्न है। लोक सुनवाई दौरान लगभग 4000 जनसामान्य की उपस्थिति रही, जिसमें से 08 वक्ताओं द्वारा उद्योग स्थापना के संबंध में अपना विचार व्यक्त किया गया। इस दौरान जन सुनवाई में उपस्थित जन समुदाय मे कुछ लोगो के अनावश्यक रूप से हल्ला करने के कारण उपस्थित लोगो ने उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर करने से परहेज किया गया । इसके उपरांत भी 18 लोगो ने उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर किये। जो कि संलग्न है।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के विचार व्यक्त करने के लिये न आने के कारण मेरे द्वारा प्राप्त अभिमतों की समीक्षा करते हुये सभी जन समुदाय को लोक सुनवाई में भाग लेने एवं आवश्यक सहयोग देने के लिए धन्यवाद देते हुए लोक सुनवाई की विधिवत कार्यवाही समाप्त घोषित की गई।

जन सुनवाई के दौरान प्रारंभ से अंत तक संपूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी की गई है, जो संलग्न है।

(डॉ0 सी0 बी0 पटेल)
क्षेत्रीय अधिकारी,
छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मडल,
बिलासपुर

(ए. के. तिवारी)
अपर कलेक्टर,
जिला–जांजगीर–चांपा